

FORM-SO-1

दिल्ली विकास प्राधिकरण
उद्यान खंड -4
शेखसराय, फेस-1, नई दिल्ली

संख्या : SD-I/HORT-IV/DDA/2023-24/09

दिनांक : 25.10.2023

सूचना

निम्नलिखित क्षेत्र की विलायती कीकर (मिश्रित) कटी लकड़ियों की नीलामी प्रत्येक के सामने नीचे दर्शाए गए दिनांक एवं समय पर की जाएगी। उच्चतम बोली की पूरी राशि उच्चतम बोली लगाने वाले को समय पर जमा करनी होगी। उप-निदेशक (उद्यान) / उ०ख०-IV, दि० वि० प्रा० को बिना बताये बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया जा सकता है।

नोट :-

- बोली जमा करने से पहले, बोलीदाताओं से अनुरोध है की वे नीलामी अधिकारी को जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करे।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर से जी एस टी लगेगा, जोकि बोलीदाता से भुगतान विभाग को किया जाएगा।

क्र०सं०	क्षेत्र का नाम	अनुमानित वजन	आइ० आर० संख्या	नीलामी कि तिथि और समय
1.	एम० पी० ग्रीन एरिया संजय वन	25 कुंटल	F10(1)/2023-24/HD- IV/DDA/1067 Dated 13.10.2023	दिनांक 02.11.2023 सुबह 12:00 बजे स्थान: शेख सराए, फेज एक, नई दिल्ली 110017

नियम व शर्तें

- रुचिकार ठेकेदार नीलामी के समय से पूर्व अर्थात् दिनांक 02.11.2023 समय सुबह 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होगा और इस समय के बाद किसी भी ठेकेदार को देर से आने से कारण बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रत्येक ठेकेदार उपरोक्त पार्क/जंगल में कई जगहों पर मिश्रित कटी हुई लकड़ी को बिखेरने/बिछाने के लिए नीलामी बोली से पहले आइ० दी० प्रूफ और जी एस टी नंबर जमा करेगा।
- प्रत्येक ठेकेदार डिमांड ड्राफ्ट एवं नकद राशि के रूप में सुरक्षा राशि 5000/- रुपये जमा करनी होगी। नीलामी राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सीनियर ए० ओ० / सी० ए० यू० / होर्ट, डी डी ए के पक्ष में बनेगा। एच-1 बोलीदाता/सफल बोलीदाताओं को छोड़कर नीलामी के सफल समापन के बाद डिमांड ड्राफ्ट ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा। एच-1 बोली लगाने वाले को कार्य के सफल समापन के बाद जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी।
- नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी की राशि लागू जीएसटी के साथ उसी दिन या अगले दिन सुबह 12.00 बजे तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सीएयू) / उद्यान/डीडीए के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

5. उपरोक्त पार्क/वन में विभिन्न स्थानों पर पहले से गिरे हुए वृक्षों/शाखाओं की लकड़ी (मिश्रित कटी हुई लकड़ी) की नीलामी सुपुर्दगी आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर ली/हटाई जाएगी।
6. नीलामी (मिश्रित लकड़ी) संबंधित सहायक निदेशक के निर्देश/निर्देश के अनुसार ठेकेदार द्वारा ली/हटाई जाएगी।
7. वन अधिनियम के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार वन विभाग और डीडीए विभाग द्वारा किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
8. उपरोक्त पार्क/वन से पहले से बिछाई गई / गिरे हुए पेड़ों, शाखाओं की लकड़ी (मिश्रित कटी लकड़ी) आदि को हटाने के दौरान यदि ठेकेदार या उसके काम पर लगे श्रमिकों के साथ (वागवानी) से किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है, तो डीडीए इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

[Handwritten Signature]
25/10/23

नीलामी अधिकारी
उद्यान खंड चतुर्थ

प्रतिलिपि :

1. मुख्य इंजिनियर (उद्यान), दि०वि०प्रा० ।
2. निदेशक (उद्यान), (दक्षिण पूर्व) & (उत्तर पश्चिम), दि०वि०प्रा०
3. उप निदेशक (उद्यान) प्रथम से नवम और द्वारका दि०वि० प्रा० ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी (उद्यान) शकरपुर ।
5. सहायक निदेशक (उद्यान) प्रथम से पंचम उद्यान खंड-IV, दि०वि०प्रा० ।
6. सहायक लेखाधिकारी (उद्यान) उद्यान खंड - IV, दि० वि० प्रा० ।
7. सचिव, दि०वि०प्रा० कांटेक्टर एसोसिएशन, विकास कुटीर, नई दिल्ली ।
8. सचिव, दि०वि०प्रा० कांटेक्टर, विल्डर, एसोसिएशन, (Retd) No. 5503 चौधरी प्रेम राज भवन चंद्रावल, चौधरी भीम सिंह रोड, दिल्ली ।
9. सचिव, दि०वि०प्रा० कांटेक्टर, वेलफेयर एसोसिएशन, विकास कुटीर ।
10. दिल्ली कांटेक्टर, वेलफेयर एसोसिएशन (Retd.) 2518 धरम वाली गली, काली मस्जिद, तुर्कमान गेट, दिल्ली ।
11. सामान्य सचिव वागवानी एसोसिएशन B1/122, अशोक विहार, फेज 2, दिल्ली ।
12. ट्रास यमुना, दि०वि० प्रा० कांटेक्टर एसोसिएशन (Retd.) 11-12 वीर सावरकर मार्किट, बुध बाज़ार मार्किट, दिल्ली ।
13. लकड़ी सचिव/ टिम्बर मार्किट, खानपुर, नई दिल्ली ।
14. लकड़ मंदी सचिव, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।
15. सूचना पट ।
16. दि०वि०प्रा० वेबसाइट ।
17. कार्यालय प्रति ।

नीलामी अधिकारी
उद्यान खंड चतुर्थ